उदयपुर में करीब 35 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास

उदयपुर, (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 'आपणो अग्रणी राजस्थान' के संकल्प के साथ उदयपुर में विकास कार्यों का सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा है। नगरीय विकास एवं आवासन, स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने अपने उदयपुर दौरे के दौरान मंगलवार और बुधवार को महज 12 घंटे से भी कम अंतराल में लगभग 35करोड़ के विकास कार्यों और परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास किया।

मंत्री खर्रा ने मंगलवार को उदयपुर शहर के दक्षिण विस्तार योजना में नवनिर्मित सामुदायिक केंद्र का लोकार्पण, उदयपुर विकास प्राधिकरण की 1109 भूखंडों की तीन नवीन आवासीय योजनाओं के शुभारंभ सहित विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया। उन्होंने शहरी सेवा शिविरों में लाभार्थियों को पट्टा वितरण भी किया। इस अवसर पर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूलसिंह मीणा, उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, समाजसेवी गजपाल सिंह राठौड़, रवींद्र श्रीमाली, पुष्कर तेली, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, यूडीए आयुक्त राहुल जैन भी मौजूद रहे। इससे पहले सोमवार देर शाम को प्रतापनगर स्थित महिला थाना फ्लाई ओवर से भुवाणा चौराहे से प्रतापनगर चौराहे तक 2 करोड़ 25 लाख की लागत से डेकोरेटिव पोल एवं स्ट्रीट लाइटिंग का बटन दबाकर लोकार्पण किया। दक्षिण विस्तार योजना में नवनिर्मित सामुदायिक केंद्र में आयोजित समारोह में मंत्री खर्रा ने कहा कि उदयपुर शहर पर्यटन के लिए दुनियाभर में मशहूर है। शहर का सुनियोजित विकास, साफ-सफाई, रोशनी और नागरिकों का सौम्य व्यवहार निश्चित रूप से पर्यटन को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शिविरों के माध्यम से अल्प आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

विकास कार्यों के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में मंत्री झाबर सिंह खर्रा और अन्य जनप्रतिनिधिगण।

राइजिंग राजस्थान के माध्यम से लगभग 35 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर हुए। अब तक लगभग 5 लाख करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरकर काम शुरू हो चुका है। अक्टूबर माह के अंत तक लगभग 4-5 लाख करोड़ रूपये के अन्य निवेश प्रस्तावों पर भी धरातल पर काम शुरू हो जाएगा। इससे राजस्थान की आर्थिक उन्नति होगी, रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।

मंत्री खर्रा ने कहा कि राजस्थान में सामान्यत: दो बातों की ज्यादा कमी महसूस की जाती थी। हमारे प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा मरूस्थलीय होने से पानी की कमी और दूसरा बिजली का उत्पादन कम था। पिछले बीस माह में पेयजल और खेती के लिए जल की उपलब्धता के लिए काम किया गया है। पिछले साल दिसम्बर में राजस्थान के 17 जिलों के लिए प्रधानमंत्री के कर कमलों से राम जल सेतु परियोजना की शुरुआत हुई। वहीं, वर्षो से लंबित हरियाणा और राजस्थान सरकार के बीच यमुना जल समझौता होकर टास्क फोर्स का निर्माण हो चुका है। परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होते ही उस पर भी तेजी से काम शुरू होगा। इससे शेखावाटी के तीन जिलों के लिए पानी का संकट समाप्त हो जाएगा। बांसवाड़ा में गुजरात के साथ हिस्सेदारी में माही बांध बना था। उसमें गुजरात की 40 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। लेकिन उसमें एक यह शर्त थी कि जब भी गुजरात का सरदार सरोवर बांध का निर्माण पूरा हो जाएगा और सरदार सरोवर बांध का जल निर्धारित अंतिम क्षेत्र तक पहुंच जाएगा, तब गुजरात अपने हिस्से के जल पर अपना अधिकार छोड़ने पर विचार करेगा। राजस्थान और गुजरात सरकार के बीच प्रारंभिक बातचीत हो चुकी है और गुजरात सरकार ने सैद्धांतिक रूप से अपने जल के हिस्से पर दावा छोडने पर सहमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा चम्बल और अन्य नदियों का पानी बहकर समुद्र में जाता है, उस पानी को भी नियोजित रूप से पाली, जोधपुर और नागौर ले जाने की परियोजना पर काम चल रहा है। पहलगाम हमले के बाद सिंधु जल संधि समझौते को निलंबित कर दिया है और अब प्रयास चल रहा है कि ब्यास नदी का पानी भी राजस्थान लाया जाए।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही बांसवाड़ा 2800 मेगावाट की परमाणु विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया है। जब यह बनकर तैयार हो जाएगा, तो राजस्थान अपनी विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ ही अन्य प्रदेशों को भी विद्युत सप्लाई करने की स्थिति में आ जाएगा। मंत्री खर्रा ने कहा कि राजस्थान सरकार एक और महत्वाकांक्षी योजना पर काम कर रही है। ताप बिजली घरों के कोयले की सप्लाई के लिए भारत सरकार ने राजस्थान को छत्तीसगढ़, झारखंड में कोयले के ब्लॉक आवंटित कर रखे हैं। राजस्थान सरकार वहां की राज्य सरकारों से बातचीत करके वहां नए ताप बिजली घर लगाने के लिए जमीन आवंटन करवाने के लिए प्रयास कर रही है। राजस्थान सरकार एनटीपीसी के साथ साढे.तीन लाख करोड़ की लागत से वहां नए ताप बिजली घर स्थापित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रही है। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि कोयले की ढुलाई में जितना खर्च होता है, उसके 10 फीसदी खर्च में ट्रांसमिशन लाइन के जरिए वहां उत्पादित बिजली राजस्थान ला पाएंगे।

'रंगत रास्ता री.' कला उत्सव का किया अवलोकन

उदयपुर, (कासं)। विश्व वास्तुकला दिवस के अवसर पर उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) द्वारा आरंभ किए गए दस दिवसीय कला उत्सव 'रंगत रास्ता री...' का मंगलवार को संभागीय आयुक्त एवं यूडीए अध्यक्ष प्रज्ञा केवलरमानी ने यूडीए आयुक्त राहुल जैन के साथ आरटीओ अंडरपास पहुंचकर अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने कलाकारों से संवाद किया तथा दीवारों पर चल रहे आर्टवर्क को करीब से देखा।

संभागीय आयुक्त ने कहा कि यह पहल न केवल शहर के सौंदर्यीकरण की दिशा में एक नवाचारपूर्ण कदम है, बल्कि यह उदयपुर की सांस्कृतिक आत्मा को भी जीवंत करती है। उन्होंने कहा कि रंगत ङ्क्त रास्ता री...वास्तव में शहर को एक ओपन-एयर आर्ट गैलरी में बदलने का प्रेरणादायक प्रयास है, जहाँ हर नागरिक अपने सृजन से शहर की पहचान में रंग भर रहा है।उन्होंने मौके पर संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी ने ब्रश उठाकर एक दीवार पर रंग करते हुए इस मुहिम में सहभागिता भी दर्ज की। उन्होंने कलाकारों, विद्यार्थियों और यूडीए टीम के समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि यह आयोजन जनता के जुडाव और सामूहिक सृजन की मिसाल है। इसके साथ ही यूडीए आयुक्त राहुल जैन, चित्तौड एसपी मनीष त्रिपाठी, यूडीए के निदेशक अभियांत्रिकी संजीव शर्मा ने भी अंडरपास में की जा रही चित्रकारी का अवलोकन किया और अपने हाथों से विभिन्न चित्रों में रंग भरा। एसपी त्रिपाठी ने यूडीए और अर्बन स्कैचर्स की इस पहल की सराहना की। इस दौरान आयोजन संयोजक आर्किटेक्ट सुनील एस. लड्ढा ने उत्सव की रूपरेखा, कलाकृतियों की थीम और आगे के चरणों की जानकारी दी।

यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता को पीटा, धरना दिया

उदयपुर, (कासं)। शहर के सूखेर थाना इलाके में सोमवार रात को मंत्री झाबर सिंह खर्रा के सामने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा किए विरोध को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनकी पिटाई कर दी। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मामले में सुखेर थाना पुलिस कांग्रेस कार्यकर्ता और अन्य को पकड़कर थाने ले गई। मामले में रात को कांग्रेसियों ने शहर अध्यक्ष के साथ 3 बजे तक सुखेर पुलिस थाना में धरना दिया। पुलिस ने पाबंद करने के बाद हिरासत में लिए तीनो युवको को रिहा किया।

दरअसल नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा सोमवार रात करीब 8 बजे उदयपुर शहर के भुवाणा चौराहा से प्रताप नगर चौराहा तक डेकोरेटिव पोल और स्ट्रीट लाइट का लोकार्पण करने आए थे। इसी दौरान यूवा कांग्रेस के अरमान जैन शहीद अभिनव नागौरी का नाम वहां से हटाने का विरोध करते हुए अपनी बात रखने आए तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंत्री जी को काले झंडे दिखाएंगे कहते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओ को पीट दिया। बाद में पुलिस ने अरमान जैन सहित दो अन्य को हिरासत में ले लिया।

स्वर्ण पदक जीता

उदयपुर, (कासं)। बालोतरा बाड़मेर में संपन्न हुई 69वीं राज्य स्तरीय 19 वर्ष विद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता में उदयपुर ने बीकानेर को 8 विकेट से पराजित कर खिताब अपने नाम किया। उदयपुर टीम की प्रशिक्षक कोमल सोनी के अनुसार बीकानेर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया लेकिन उदयपुर के गेंदबाजों की सधी हुई गेंदबाजी के समक्ष निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 128 रन ही बना सकी। उदयपुर की ओर से यशोदा गमेती ने शानदार ने किफायती गेंदबाजी करते हुए तीन ओवर में 5 रन देकर दो विकेट लिए। डाली गमेती, अनिता डांगी व प्रियांशी चौधरी के हिस्से में एक-एक विकेट आया शेष खिलाड़ी रन आउट हुए। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए उदयपुर ने प्रियांशी चौधरी के नाबाद 52 एवं भव्या सिसोदिया के 22 व प्रियांशी जैन के 20 रनों की बदौलत दो ओवर शेष रहते 8 विकेट से जीत का सेहरा अपने सर बांधा। उदयपुर की बेटियों की शानदार जीत पर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक लोकेश भारती, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मोहनलाल मेघवाल, लक्ष्मी मीणा, लीला लक्षकार आदि ने खुशी जाहिर की।

गीतांजली के डॉ. जी. एल. डाड को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड

उदयपुर, (कासं)। राजस्थान की चिकित्सा और फॉरेंसिक मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए विख्यात डॉ. जी. एल. डाड को राजस्थान एकेडमी ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी द्वारा प्रतिष्ठित लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

यह सम्मान उन्हें व्यास मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जोधपुर में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। समारोह में प्रदेशभर के वरिष्ठ चिकित्सक, शिक्षाविद और मेडिकल विशेषज्ञ मौजूद रहे। गीतांजली हॉस्पिटल के पेरामेडिकल प्रिंसिपल डॉ. डाड ने अपने लंबे करियर में मेडिकल एजुकेशन और फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। वे अपने उत्कृष्ट ज्ञान, अनुशासन और समर्पण के लिए पूरे देश में सम्मानित नाम हैं। उनकी सेवाओं ने न केवल अनेक विद्यार्थियों को प्रेरित किया है, बल्कि चिकित्सा क्षेत्र में शोध और शिक्षा के नए मानक स्थापित किए हैं। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगा राम पटेल, विधि, न्याय एवं संसदीय कार्य मंत्री, डॉ. दीपाली पाठक (आयोजन सचिव) एवं डॉ. पी. सी. व्यास ने संयुक्त रूप से यह सम्मान प्रदान किया और कहा कि डॉ. डाड जैसे वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सा समुदाय के लिए प्रेरणा स्तंभ हैं। गीतांजली मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल परिवार ने इस उपलब्धि पर डॉ. डाड को हार्दिक बधाई दी है और इसे संस्था के लिए सम्मान का विषय बताया है।

गीतांजली के डॉ. जी. एल. डाड को लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला।

घूमर महोत्सव 15 नवम्बर को, बैठक में सौंपे दायित्व

उदयपुर, (कासं)। राज्य सरकार की पहल पर 15 नवंबर को राज्य के सातों संभागीय मुख्यालयों पर घूमर महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा। इसमें राज्य की पारंपरिक शाही धरोहर घूमर नृत्य को नए उत्साह और रंगत के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। उदयपुर में घूमर महोत्सव की तैयारियों को लेकर मंगलवार को जिला कलक्टर नमित मेहता के निर्देशन एवं एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट मिनी सभागार में बैठक हुई।

प्रारम्भ में संयुक्त निदेशक, पर्यटन सुश्री सुमिता सरोच ने कार्यक्रम की रूप रेखा प्रस्तुत की। बैठक में प्रतिभागियों की संख्या अधिक होने की संभावना को देखते हुए उदयपुर संभाग में घूमर फेस्टिवल को आयोजन स्थल गांधी ग्राउण्ड में कराए जाने का निर्णय लिया गया। 15 नवम्बर, 2025 को गांधी ग्राउण्ड में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था तथा यातायात प्रबन्ध की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने तथा भण्डारी दर्शक मण्डप में आयोजित होने वाली वर्कशॉप में दो सुरक्षा कर्मी तैनात करने के निर्देश उपस्थित उप अधीक्षक यातायात पुलिस को दिये गये।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ने कॉलेज शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा के अधिकारियों को निर्देश दिये कि घूमर फेस्टिवल में अधिक संख्या में भाग लेने हेतु अपने क्षेत्राधिकार के स्कूल एवं कॉलेज को निर्देश जारी करें। कार्यक्रम के मुख्य आयोजन हेतु की जाने वाली व्यवस्थाओं यथा टेन्ट, स्टेज, साउण्ड, लाईट आदि की व्यवस्था करने हेतु उदयपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम से पर्यटन विभाग द्वारा निवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त पीने के पानी, मोबाईल टॉयलेट की व्यवस्था नगर निगम के माध्यम से करवाये जाने के निर्देश संबंधित विभाग को दिये गये।राजीविका के उपस्थित प्रतिनिधि को तथा राजीविका उत्पाद जनजातीय क्षेत्रीय विभाग को जनजातीय से संबंधित हेण्डीक्रॉफ्ट की स्टॉल लगाये जाने के निर्देश दिये गये। मुख्य कार्यक्रम दिवस को फूड स्टॉल्स लगाने तथा अन्य विभागों के उत्पादों हेतु स्टॉल्स की व्यवस्था करने के निर्देश नगर निगम को दिये गये। कार्यक्रम स्थल 4 दिन पूर्व से नि:शुल्क उपलब्ध करवाये जाने तथा कार्यक्रम स्थल पर तथा आसपास सफाई व्यवस्था करवाये जाने के निर्देश दिये गये। अतिरिक्त जिला कलक्टर ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को निदेश दिए कि घूमर फेस्टिवल में भाग लेने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के अंतर्गत क्यू आर कोड बनवाया जाये, जिसमें फेस्टिवल में भाग लेने की समस्त जानकारी उपलब्ध हो। संभाग के अन्य जिलों से भी अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिय संबंधित जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिये गये। बैठक में उप अधीक्षक, यातायात अशोक आंजना, उपायुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग श्रीमती रागिनी डामोर, उपनिदेशक पर्यटन, सुश्री शिखा सक्सेना, डॉ. कैलाश शर्मा, डॉ सतीश कुमार आचार्य, दशरथ सिंह चुण्डावत, ललित कुमार बनुकर आदि उपस्थित रहे। महोत्सव में 12 से अधिक आयु की बालिकाओं, युवतियों व महिलाओं को भाग लेने का अवसर मिलेगा। इसमें स्कूल और कॉलेज की छात्राएं, डांस स्कूल के सदस्य, गृहिणियां, कामकाजी महिलाएं, स्वयं सहायता समूह, एनजीओ और पंजीकृत क्लब शामिल हो सकते हैं।

पॉक्सो अधिनियम जागरूकता पोस्टर का विमोचन

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव ने मंगलवार को उनके कक्ष में रेंज के सभी पुलिस अधीक्षकगण की उपस्थिति में पोक्सो अधिनियम जागरूकता विषयक पोस्टर का विमोचन किया। सुरक्षित बचपन-उज्ज्वल भविष्य-सषक्त समाज विषय इस पोस्टर का विमोचन करते हुए आईजी श्रीवास्तव ने कहा कि सषक्त समाज के लिए बालकों का उचित संरक्षण हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि बालकों को यौन शोषण से बचाने के लिए लैंगिक अपराधों से बालकों को संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की जानकारी आमजन तक पहुंचाने जिससें बालकों को सुरक्षित वातावरण मिल सके। इस अवसर पर उदयपुर पुलिस अधीक्षक योगेष गोयल, राजसमंद पुलिस अधीक्षक डॉ. ममता गुप्ता, चित्तौड़गढ़ पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, बांसवाड़ा पुलिस अधीक्षक सुधीर जोषी, डूंगरपुर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार, सलूंबर पुलिस अधीक्षक राजेष यादव और प्रतापगढ़ पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य, कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एएसपी हर्ष रतनू और यूनिसेफ की बाल संरक्षण सलाहकार सिंधु बिनुजीत उपस्थित रही।

आधारभूत प्रशिक्षण शुरू

उदयपुर, (कासं। मत्स्य विभाग में नवनियुक्त एवं पदोन्नत मत्स्य विकास अधिकारी, सहायक मत्स्य विकास अधिकारी एवं मत्स्य निरीक्षकों का तीन दिवसीय आधारभूत मत्स्य प्रशिक्षण मंगलवार से मत्स्य भवन परिसर उदयपुर में शुरू हुआ।

कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. अनिल कुमार जोशी ने तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न सत्रों में विषय विशेषज्ञो द्वारा दिये जाने वाले व्याख्यानों की जानकारी प्रदान की। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में 21 मत्स्य अधिकारियों द्वारा भाग लिया जा रहा है। प्रशिक्षण के प्रथम सत्र में सेवानिवृत आरएएस अधिकारी अहसान अहमद छीपा ने अधिकारियों को कार्यालय संचालन में उपयोगी शासकीय नियमों की जानकारी दी। बांग्लादेश मछली पालन विभाग के पूर्व निदेशक डॉ. बिनय कुमार चक्रवर्ती ने अधिकारियों को पीपीटी के माध्यम से बांग्लादेश एवं भारत में मत्स्य पालन कार्यक्रम की जानकारी एवं अपने अनुभव अधिकारियों से साझा किये। द्वितीय सत्र में सेवानिवृत वरिष्ठ लेखाधिकारी पवन कुमार शर्मा ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों की जानकारी प्रदान की।

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F.11( )/Regin-II/2025/1288 **आम-सूचना** Date : 7-10-2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन के क्रम में राजस्व ग्राम भुवाणा के खसरा नम्बर 2023 से 2028 के अनुमोदित योजना प्लान में स्थित भूखण्ड निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गफिट में)
1	श्रीमती कलावती पत्नी श्री हरिशचन्द्र ब्राह्मण, निवासी- 71, गणपति विहार, पानेरियों की मादड़ी, उदयपुर (राज.)	179	2600.00
2		180 - ए	1495.00

अत: उपरोक्तानुसार उक्त दोनों भूखण्डों के आवंटन/ पट्टा विलेख आवेदक के पक्ष में जारी किये जाने के संबंध में यदि किसी संस्था/व्यक्ति/ फर्म इत्यादि को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 10 दिवस की अवधि में इस कार्यालय को प्रस्तुत करावें, अन्यथा इस अवधि उपरान्त पट्टा विलेख आवेदक के पक्ष में जारी किया जावेगा।

(सुरेन्द्र बी. पाटीदार) उपायुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

कार्यालय नगर परिषद राजसमन्द, जिला-राजसमन्द

क्रमांक: न.पा.रा./भू.उ.परि./2025/5453 दिनांक : 7/10/2025

-:आपत्ती सूचना पत्र:-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री वैभव श्रीमाली पिता श्री लोकेश श्रीमाली निवासी पंचरत्न काम्पलेक्स भीलवाडा रोड कांकरोली द्वारा राजस्व ग्राम धोईन्दा के आराजी संख्या 3905 /383 में जारी पट्टा सं. 6517 दिनांक 14.02.2025, भूखण्ड क्षेत्रफल 237.54 वर्गमीटर का सी.एन.जी. स्टेशन पेट्रोल पम्प (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ का जारी किया गया। प्रार्थी द्वारा पट्टा संख्या 6517 भूखण्ड क्षेत्रफल 237.54 वर्गमीटर, सी.एन.जी. स्टेशन पेट्रोल पम्प (वाणिज्यिक) से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन चाहा गया है। उक्त भू-उपयोग परिवर्तन करने में कोई आपत्ती हो तो 15 दिवस में अपनी आपत्ती लिखित में मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करे। बाद मियाद कोई आपत्ती स्वीकार्य नहीं होगी।

आयुक्त, नगरपरिषद राजसमन्द

कार्यालय नगर परिषद राजसमन्द, जिला-राजसमन्द

क्रमांक:न.पा.रा./भू.उ.परि./2025/5455 दिनांक : 7/10/2025

-:आपत्ती सूचना पत्र:-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स होटल एमएम रेजीडेन्सी नियर टीवीएस चौराहा कांकरोली तहसील व जिला राजसमन्द पार्टनर श्री निलेश सूर्या पिता श्री चतर सूर्या निवासी सूर्या निवास मीरा नगर जलचक्की कांकरोली को राजस्व ग्राम हवाला खसरा संख्या 63, 64, 65, 66 रकबा 02-01-00 बीघा में से 3236. 16 वर्गगज यानि 29125.50 वर्गफीट का जारी हुआ है जो कार्यालय नगर परिषद राजसमंद के द्वारा प्रकरण संख्या 71/2006-07 पट्टा संख्या 2139 दिनांक 09 .02.2007 को जारी किया गया है, जो भूखण्ड संख्या 01 से 04 है। उक्त पट्टे में से पट्टेधारी नें 1942.21 वर्गफीट का विक्रय किया गया है एवं राजस्व ग्राम हवाला के आराजी संख्या 77 में से 330.66 वर्गगज यानि 2976.00 वर्गफीट का जारी हुआ है जो कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड मजिस्ट्रेट राजसमन्द से मिसल नम्बर 16/91 पट्टा संख्या 129 / 93 दिनांक 29.06.1993 को जारी किया गया है। उक्त पट्टाधारी ने 2976 वर्गफीट का विक्रय किया गया है। प्रार्थी द्वारा उक्त दोनो भूखण्ड 1942.21 वर्गफीट व 2976 वर्गफीट यानि कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 4918.21 वर्गफीट आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन चाहा गयाहै।। उक्त भू -उपयोग परिवर्तन करने में कोई आपत्ती हो तो 15 दिवस में अपनी आपत्ती लिखित में मयदस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करे। बाद मियाद कोई आपत्ती स्वीकार्य नहीं होगीं।

आयुक्त, नगरपरिषद राजसमन्द

कार्यालय नगर पालिका नाथद्वारा जिला-राजसमन्द (राज.)

Email:-np_ntd@yahoo.in Phone-02953-233526

क्रमांक/न.पा.नाथ/भूमि/2025/12234 दिनांक : 26/09/2025

-:आपत्ती सूचना:-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है किश्रीमती रेखा जैन पत्नी श्री संजय कुमार सिघंवी निवासी नाथद्वारा, तहसील -नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द द्वारा राजकीय चिकित्सालय, नाथद्वारा के पास स्थित भूखण्ड संख्या-10 क्षेत्रफल 1841 वर्गफिट का पालिका द्वारा जारी पट्टा क्रमांक /भूमि/90क/24/2886 प्रकरण संख्या-212/23-24 दिनांक 15.03.2024 की प्रति प्रस्तुत कर आवेदक द्वारा कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 1841वर्गफिट का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन चाहा गया है।

उक्त भूखण्ड के पडौस पूर्व-भूखण्ड संख्या-08, 07 व 09 , पश्चिम-30 फिट चौडा रोड़, उत्तर-भूखण्ड संख्या-11, दक्षिण-60 फिट चौड़ा रोड़ है। उक्त भूखण्ड का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में मय आपत्ति दस्तावेज पालिका कार्यालय में प्रस्तुत करें बाद मियाद किसी प्रकार आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।

आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

कार्यालय नगर पालिका नाथद्वारा जिला-राजसमन्द (राज.)

Email:-np_ntd@yahoo.in Phone-02953-233526

क्रमांक/न.पा.नाथ/भूमि/2025/12231 दिनांक : 26/09/2025

-:आपत्ती सूचना:-

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है किश्रीमती रेखा जैन पत्नी श्री संजय कुमार सिघंवी निवासी नाथद्वारा, तहसील -नाथद्वारा, जिला-राजसमन्द द्वारा राजकीय चिकित्सालय, नाथद्वारा के पास स्थित भूखण्ड संख्या-08 क्षेत्रफल 1000 वर्गफिट का पालिका द्वारा जारी पट्टा क्रमांक /भूमि/90क/24/2884 प्रकरण संख्या-212/23-24 दिनांक 15.03.24 एवं भूखण्ड संख्या-09 क्षेत्रफल 1526 वर्गफिट का पट्टा क्रमांक/भूमि/90क/24/2885 प्रकरण संख्या-212/23-24 दिनांक 15.03.2024 की प्रति प्रस्तुत कर आवेदक द्वारा कुल भूखण्ड क्षेत्रफल 2520 वर्गफिट का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन चाहा गया है।

उक्त भूखण्ड के पडौस पूर्व-40 फिट चौड़ा रोड़, पश्चिम-भूखण्ड संख्या-10, उत्तर-भूखण्ड संख्या-07, दक्षिण-60 फिट चौड़ा रोड़ है। उक्त भूखण्ड का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 07 दिवस में मय आपत्ति दस्तावेज पालिका कार्यालय में प्रस्तुत करें बाद मियाद किसी प्रकार आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।

आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

कार्यालय ग्राम पंचायत रावछ, पंचायत समिति सायरा जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-26 दिनांक-06/10/2025

-:ई निविदा सूचना :-

ग्राम पंचायत रावछ के लिए स्वीकृत सम्पर्क रास्ता निर्माण कार्य फटकारी डांग से भुल्वानिया की ओर केलो की सेरी कार्य हेतु ई निविदाएं दिनांक ...... सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/ जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

UBN N0 ZUD2526WSOB02137

प्रशासक ग्राम पंचायत रावछ पं.स. सायरा जि. उदयपुर
ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत रावछ पं.स. सायरा जि. उदयपुर

कार्यालय ग्राम पंचायत पालीदाना, पंचायत समिति सायरा जिला उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-37 दिनांक-06/10/2025

-:ई निविदा सूचना :-

ग्राम पंचायत पालीदाना के लिए स्वीकृत सम्पर्क रास्ता निर्माण कार्य मोटा भाटा से पुलिया की ओर केमजावास कार्य हेतु ई निविदाएं दिनांक ...... सायं 6.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। विस्तृत विवरण/ जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

UBN N0 ZUD2526WSOB02138

प्रशासक ग्राम पंचायत पालीदाना पं.स. सायरा जि. उदयपुर
ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत पालीदाना पं.स. सायरा जि. उदयपुर

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: उविप्रा/नियमन रिकॉर्ड/2025/3318 **आम सूचना** दिनांक:- 7/10/2025

निम्न आवेदनकर्ता द्वारा अपने भूखण्ड का वारिसान/वसीयत/हक त्याग/विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम पर नामान्तरण किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया है:-

क्र. सं.	भुखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या	आवेदक का नाम / पिता का नाम	मृतक का नाम एवं स्वामित्व का आधार
1.	20 (MUT No. 4774)	1714.25	धोली मंगरी (बेड़वास) खसरा नं. 1594, 1595, 2659, 2660, 2662,	श्री भानु कुमार एवं मनीष मल्लारा पिता स्व. श्री वीरेंद्र कुमार जी मल्लारा निवासी:- 187, हिरण मगरी से. 3, उदयपुर (राज.)	श्री वीरेंद्र कुमार जी मल्लारा पिता श्री कन्हैयालाल मल्लारा स्वर्गवास दिनांक 11.10. 2016 को होने पर उनके वारिसानों द्वारा किए गए पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 29. 10.2018 के आधार पर नामांतरण चाहा गया

अत: उपरोक्तानुसार उक्त भूखण्ड का वारिसान के आधार पर नामान्तरण पत्र जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म को किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति/एतराज हो तो वो अपनी आपत्ति मय आधारों सहित इस सार्वजनिक सूचना पत्र के प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में संबंधित शाखा के अन्दर इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सम्बंधित शाखा प्रभारी को लिपिक को प्रस्तुत करावें। अन्यथा बाद गुजरने मयाद आवेदक के नाम पर उक्त भूखण्ड का नामान्तरण-पत्र/लीजडीड जारी की जा सकेगा।

रणजीत सिंह विठू, तहसीलदार, उदयपुर विकास प्राधिकरण उदयपुर

कार्यालय नगर पालिका नाथद्वारा जिला-राजसमन्द (राज.)

क्रमांक/न.पा.ना./69क/2025/11921 **-:आपत्ती सूचना:-** दिनांक : 18/09/2025

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुदा/पट्टा शुदा के आधार पर प्राप्त भूखण्ड/ भवन का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर 69 ए का फ्री होल्ड पट्टे का आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो तीन दिवस (कार्य दिवस) में नगर पालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	आवेदित सम्पत्ति का पता एवं माप	पडौस पूर्व	पडौस पश्चिम	पडौस उत्तर	पडौस दक्षिण
1	1. उषा खण्डेलवाल/ पवन कुमार 2. संगीता खण्डेलवाल /हरिकान्त जी 3. नेहा खण्डेलवाल/ युगल किशोर 4. हरिकान्त खण्डेलवाल /पवन कुमार 5. युगल किशोर खण्डेलवाल/पवन कुमार	यादव बस्ती, नाथद्वारा भूखण्ड क्षे. 2949.25 वर्ग फीट	हेमन्त जी पालीवाल का मकान	आम रास्ता	आम रास्ता	आम रास्ता

आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

कार्यालय नगर पालिका नाथद्वारा जिला-राजसमन्द (राज.)

क्रमांक/न.पा.ना./69क/2025/11914 **-:आपत्ती सूचना:-** दिनांक : 18/09/2025

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नांकित व्यक्तियों द्वारा जरिये क्रय शुदा/पट्टा शुदा के आधार पर प्राप्त भूखण्ड/ भवन का स्वयं के नाम पर निम्नांकित वर्णित सम्पत्ति पर 69 ए का फ्री होल्ड पट्टे का आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त आवेदन के संबंध में किसी भी हितधारी को कोई आपत्ती हो तो तीन दिवस (कार्य दिवस) में नगर पालिका कार्यालय में लिखित रूप से प्रस्तुत कर दें अन्यथा प्रकरण में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने एवं दस्तावेज पूर्ण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए उक्त प्रकरणों में आगामी कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	आवेदित सम्पत्ति का पता एवं माप	पडौस पूर्व	पडौस पश्चिम	पडौस उत्तर	पडौस दक्षिण
1	1. उषा खण्डेलवाल/ पवन कुमार 2. संगीता खण्डेलवाल /हरिकान्त जी 3. नेहा खण्डेलवाल/ युगल किशोर 4. हरिकान्त खण्डेलवाल /पवन कुमार 5. युगल किशोर खण्डेलवाल/पवन कुमार	यादव बस्ती, नाथद्वारा भूखण्ड क्षे. 1974 वर्ग फीट	गली व बाद गंगाराम यादव का मकान	राधेश्याम यादव का मकान	आम रास्ता	आम रास्ता

आयुक्त, नगर पालिका नाथद्वारा

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद,राजसमन्द

प्रारूप-10 (नियम-6 (7) देखिए)

सं. 5448 **लोक-सूचना** दिनांक: 7/10/2025

श्रीमती आशा कुमावत पत्नी श्री कैलाश कुमावत निवासी धोईन्दा तहसील व जिला राजसमन्द इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात-

क्र.स.	जिले सहित तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्र
1	राजसमन्द	धोईन्दा	3853/652 3855/653	रकबा 0.0182 हैक्टैयर रकबा 0.0182 हैक्टैयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय समय के दौरान अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष समर्थक दस्तावेजों के साथ अपने आक्षेप प्रस्तुत कर सकेगा। उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जावेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 7/10/25 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी एवं आयुक्त, नगर परिषद, राजसमन्द